

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक-एफ 5(प)(11)एसीटीएडी/माडा/275(1)कोटा/2019-20/

दिनांक-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन
मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद,
कोटा।

विषय- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोपालपुरा (कोटा) में मरम्मत कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक- 25643-49 दिनांक 24.10.2020 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में सहायक अभियन्ता, स्वच्छ परियोजना, शाहबाद (बारा) के पत्रांक 730 दिनांक 16.03.2020 के साथ प्राप्त तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निम्न कार्य की कॉलम संख्या-8 के अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :-

कार्यकारी एजेन्सी- स्वच्छ परियोजना, उदयपुर

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्राम व ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
				क्र/दि	राशि	क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोपालपुरा (कोटा) में मरम्मत कार्य	गोपालपुरा/काल्याखेडी	लाडपुरा	25643-49/ 24.10.2020	5.00	593/ 23.10.2020	5.00

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय इस कार्यालय के आदेश दि. 04.06.2020 द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महावीर नगर-1, कोटा के छात्रावास में शौचालय निर्माण हेतु 21.54 लाख रु. की वित्तीय स्वीकृति जारी SWACH को हस्तान्तरित की गई। जिसे इस कार्यालय के आदेश दि. 17.09.2020 द्वारा निरस्त किया गया है, में उपलब्ध राशि में से किया जावेगा।

कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
3. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
4. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
5. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
6. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन, 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।

भवदीय

//

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) I.A.S.

आयुक्त

क्रमांक-एफ 5(प)(11)एसीटीएडी/माडा/275(1)कोटा/2019-20/ 11- 21

दिनांक- 01/01/2021

प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, कोटा।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

5. परियोजना प्रबन्धक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर
6. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, शाहबाद (बारा)।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोपालपुरा (कोटा)।
8. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
9. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
10. अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
11. गार्ड फाईल।

10
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)